Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 14-08-2006
Participants : Yadav Shri Devendra Prasad,Rawat Prof. Rasa Singh,Acharia Shri Basudeb,Kumar Shri Shailendra,Suman Shri Ramji Lal,Pradhan Shri Ashok Kumar,Verma Shri Bhanu Pratap Singh,Yadav Shri Anirudh Prasad (Sadhu)

an>

Title : Need to provide 27 per cent reservation to Other Backward Classes in all educational institutions in the country.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जिस विाय की ओर दिलाना चाहता हूं, वह सामाजिक न्याय से संबंधित है। चूंकि मैं सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध, कटिबद्ध और सैद्धान्तिक रूप से समर्पित हूं, इसलिए इस प्रश्न को यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले साल शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले संसद में भारतीय संविधान की धारा 15(5) के अन्तर्गत यह सर्वसम्मति से पारित हुआ था कि देश की शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकार द्वारा घोाित 27 प्रतिशत आरक्षण देने में अप्रत्याशित विलम्ब हो रहा है, इसलिए इसे देने में शीघ्रता की जाएगी। इस वर्ा शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक इस बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए संपूर्ण देश के ओ.बी.सी. के छात्र-छात्राओं में काफी आशंका, शंका और संशय व्याप्त है। अतः मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह तत्काल ठोस और सकारात्मक कदम उठाए, ताकि उनका संशय समाप्त हो सके।

महोदय, यह संकेत दिया गया था कि मानसून सत्र में इस विाय में सरकार कोई निर्णय ले लेगी और इसे लागू करने के लिए कोई विधेयक लाया जाएगा अथवा इसे सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा, किन्तु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मानसून सत्र समाप्त होने में केवल सात कार्य दिवस शेा हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण लागू करने के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है कि आखिर उसने इस बारे में क्या निर्णय किया है और सरकार की क्या पॉलिसी है।

महोदय, देश के एस.सी. और एस.टी. के लोगों को संविधान की धारा 15(4) के तहत आरक्षण दिया गया है, यह अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है और सरकार का यह कदम उनके लिए बहुत सहायक है, लेकिन इसी आधार पर देश भर के ओ.बी.सी. वर्ग को, उनके एडवांसमेंट के लिए संविधान की धारा 15(4) के तहत आरक्षण देने की बात कही गई है। यह प्रावधान वर्ा 1992 में सुप्रीम कोर्ट से भी पारित हो गया, लेकिन उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण अभी तक नहीं मिला है। मंडल कमीशन के लागू होने के बाद और 14 साल गुजरने के बाद भी इन वर्गों को अभी तक आरक्षण नहीं मिला है। 14 साल में तो भगवान राम का बनवास भी टूट गया था, लेकिन देश के ओ.बी.सीज. का बनवास 14 साल बाद भी नहीं टूटा है।

सभापति महोदय, इस विाय पर आजकल काफी चर्चा हो रही है और चिन्तन चल रहा है कि ओ.बी.सी. के आरक्षण को फेज-वाइज लागू किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) के द्वारा क्या एस.सी. और एस.टी. को आरक्षण चरणबद्ध तरीके से दिया गया था,यदि नहीं, तो फिर ओ.बी.सी. के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यदि ऐसा होगा, तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इसमें व्यावहारिक कठिनाई आएगी, बहुत प्रैक्टीकल डिफीकल्टीज आएंगी। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, यदि फेज-वाइज इसे लागू किया जाएगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि धरातल पर, ओ.बी.सी. को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण कभी नहीं मिल पाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि यदि ऐसा किया जाएगा, तो यह डायल्यूट हो जाएगा, कोल्ड स्टोरेज में चला जाएगा, इस पर आयरन फिल्टर गेट लग जाएगा क्योंकि इन वर्गों को उच्च नौकरियों में जो आरक्षण लागू हुआ है, वह अभी तक केवल 13 या 14 परसेंट तक ही पहुंचा है। 14 सालों में 27 प्रतिशत की जगह केवल 13 प्रतिशत आरक्षण मिला है।

यदि यह चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया, तो मैं कहना चाहता हूं कि शैक्षणिक संस्थाओं में यह 2 प्रतिशत भी लागू नहीं होगा। यह हमारा प्रैक्टीकल अनुभव है, हमारा तजुर्बा है, इसीलिए हम इस सवाल को उठाना चाहते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि क्या दोनों सदनों के नियम को 15(5) फिर से डाइल्यूट किया जायेगा? नियम 15(5) लागू होने के बाद ही यह आरक्षण का चैप्टर क्लोज़ हो गया कि यह मिलेगा। अब इसमें पुनः रीओपन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या दोनों सदनों के मैण्डेट को रीओपन किया जायेगा, दोनों सदनों के पारित विधेयक को फिर से रीओपन किया जायेगा? मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, हमारी सरकार से मांग है कि सरकार विधेयक लाये या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इसको करे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी इसे सरकार कर सकती है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसे सरकार शीघ्र करे, चूंकि शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है, यह सत्र भी चला जायेगा, पिछले साल का सत्र तो चला ही गया।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब वह चला गया, कृपया समाप्त करिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : दो साल तो पहले ही चले गये, हम इसीलिए निवेदन करना चाहते हैं कि इसी साल के शैक्षणिक सत्र में 27 प्रतिशत आरक्षण को एक बार ही लागू किया जाये।...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति जी, हम देवेन्द्र प्रसाद यादव जी की बात से अपने आपको सम्बन्ध करते हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सब के नाम जोड़ लिए गये, आप सब इसमें शामिल हैं। अब अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामजीलाल सुमन : सरकार जान-बूझकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, यह इसी सत्र में लागू होना चाहिए।...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, we associate with what Shri Devendra Prasad Yadav has said.

सभापति महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री अशोक प्रधान, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव, श्री रामजी लाल सुमन, *m09 श्री संतोा गंगवार और श्री बसुदेव आचार्य के नाम सहमति में शामिल कर लिए गये। अब हाउस की कार्यवाही चलने दें और अपना स्थान ग्रहण करें।

बसुदेव आचार्य जी, आगे आपको विाय उठाना है, क्या आप अगला विाय नहीं उठाना चाहते?

श्री रामजीलाल सुमन : सरकार जान-बूझकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, यह बहुत गम्भीर मामला है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सरकार ने इसे सुन लिया है, अब आगे की कार्यवाही चलने दें।

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)